

$$\frac{1}{1467}$$

अंचल अधिकारी
चन्दनकियारी ।

विषय - पंजी 2 का ऑलाईन प्रविष्टि करने के संबंध में।

महाशय,

महाशय, सविनय निवेदन है कि मैं आवेदक/आवेदिका हेमन्त कु. साहू पिता/पति विशोन्नाथ साहू थाना-चन्दनकियारी, अंचल - चन्दनकियारी, जिला - बोकारो का निवासी हूँ। निम्नलिखित भूमि का मेरे विशोन्नाथ साहू के नाम लगान रसीद निर्गत है परंतु ऑन लाईन में पंजी-11 अपलोड नहीं रहने के कारण लगान रसीद नहीं निर्गत हो रहा है। अनुरोध है कि पंजी 2 को ऑन लाईन करने की कृपा की जाय।

भूमि का विवरण

01. मौजा का नाम व थाना नं० - चतुर्द्विधारी 263

02. जमावंदी संख्या - 1467

03. जमाबंदी रैयत का नाम - किशोर राय

04. खाता नं० - 466

05. प्लॉट नं० - 997

06. रकबा - 395/0

Shenut Kinn Saly
आवेदक का हस्ताक्षर

ऑनलाईन पंजी- ॥ में सुधार हेतु राजस्व उप-निरीक्षक, एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन :-

महाशय,

भवदीय निर्देश के आलोक में आवेदन पत्र अंकित तथ्यों के आधार पर मेरे द्वारा स्थलिय निरीक्षण किया गया एवं हल्का कार्यालय के राजस्व अभिलेखों से मिलान किया गया तदोपरांत पाया कि संबंधित जमाबंदी संख्या..... फटा हुआ है/पंजी 2 में कायम है परंतु ऑन लाईन किये जाने के क्रम में छुट गया है। मान्य हो तो लगान के आधार निम्नांकित भूमि को ऑन लाईन करने हेतु अनुशंसा किया जाता है -

मोजा व थाना नं०	भाग संख्या/पृष्ठ सं०	जमावंदी रयत का नाम	पिता/पति का नाम	जाति	होल्डींग नं०
47 नं० थाना 213	2/1467	विश्वेश्वर रतन	विजय रतन	सूडा	1467

खाता प्लॉटवार विवरण :-

[illegible]

अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन :-

राजस्व उप निरीक्षक का प्रतिवेदन जाँच किया एवं सही पाया ऑन लाईन पोर्टल में पंजी 2 खोलने की अनुशंसा की जाती है।

राजस्व उप निरीक्षक का हस्ताक्षर

अंचल निरीक्षक का हस्ताक्षर

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर पंजी 2 खोलने हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास से अनुमति प्राप्त करने हेतु अभिलेख खोलकर भेजे।

अंचल अधिकारी, चन्दनकियारी।